105/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2016 अनवानी श्री सुखेदव सिंह व0लि0 कार्यालय जिला कलक्टर, सतर्कता शाखा श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर

06–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखेव सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2016 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से 4 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो न तो उसे उपलब्ध करवाई गई है और न ही अभिलेख का अवलोकन करवाया गया है, बिन्दु सं0 1 के संबंध में जो उत्तर दिया गया है वह भी अधूरा है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दण्डनीय है। अतः उसके द्वारा चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं दोषी कर्मी पर शास्ति कायम की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुखदेव सिंह ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2016 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1– आडिट पार्टी द्वारा जारी आडिट आक्षेपो की चित्रित प्रति।
2– मुझे सौपे गये भण्डार सामग्री के चार्ज की लिस्ट की प्रतिलिपि।
3– स्थाई सामग्री स्टाक रजिस्टरो का अवलोकन कराया जावे व प्रति दी जावे।
4– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.12, 21.02.14 व 22.07.15 पर की गई कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध करवाने बाबत।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 4173 दिनांक 05.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना में से बिन्दु सं0 1 की सूचना पत्र सं0 1229 दिनांक 29.01.2016 के द्वारा उसे उपलब्ध करवा दी गई थी शेष बिन्दु संख्या 2 से 4 की सूचना के तहत कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है किन्तु आवेदक द्वारा इसके पश्चात कार्यालय के संबंधित लिपिक, शाखा प्रभारी एवं तहसीलदार (निर्वाचन) से कोई सम्पर्क नही किया गया। सूचना प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा पुनः पत्र सं0 4098 दिनांक 04.07.16 लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आक्षेप निराधार है कि उसे रिकार्ड का अवलोकन नही करवाया गया है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1229 दिनांक 29.01.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्राप्त आपके आवेदन पत्र में चाही गई बिन्दु सं0 1 की सूचना के तहत सहायक लेखाधिकार निदेशालय निरीक्षरण विभाग भौतिक सत्यापन दल संख्या 15 मुख्यालय गंगानगर द्वारा दिनांक 08.02.2011 को किये गये ऑडिट आक्षेप की प्रति इस पत्र के सलंग्न प्रेषित है। शेष बिन्दु संख्या 2 से 4 तक की सूचना के तहत कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

105/2016

जिला कलेक्टर

अपीलार्थी का कथन है कि उसे बिन्दु सं0 1 की सूचना जो उपलब्ध करवाई गयी है वह अधूरी है और शेष बिन्दुओ की सूचना के संबंध में बार बार आवेदन करने भी उसे रिकार्ड नही दिखाया जा रहा है और न ही सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है जबकि आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उत्तर तो समय पर दिया गया है किन्तु दिया गया उत्तर पर्याप्त नही है ऐसी दशा में जबकि अपीलार्थी बार बार अभिलेख निरीक्षण के लिए आवेदन कर रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 4 बिन्दुओ की सूचनांओ से संबंधित अभिलेख का निरीक्षण करवाने के लिए आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथि नियत करें और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को संबंधित उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और उसमें अपीलार्थी जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर